न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 91/2024

उनवानः– ललिता देवी बनाम तहसीलदार वगै0

पत्रावली पेश हुई, वादीया वकील व तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब/रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की जाकर वादीया वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वादीया वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित ग्राम भूडा की आराजीयात ख0न0 197, 198 मे वादीया के पति का नाम रूपसिह दर्ज कर दिया जबकि वादीया के पति का सही नाम रूपनारायण सिह है। एवं वादीया के दस्तावेजात मे पति का नाम रूपनारायण सिंह दर्ज है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने हाल जमाबन्दी मे वादीया के पति का नाम रूपनारायण सिंह के स्थान पर रूपसिह गलत दर्ज कर दिया। अतः वादीया के पति का नाम रूपसिंह के स्थान पर रूपनारायण सिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान किये जावे।

तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे ललिता देवी पत्नि रूपसिह दर्ज रिकार्ड है। जो कि विक्रय पत्र के नामांतकरण से अमल मे आया है। विक्रय पत्र मे ललिता देवी पत्नि रूपसिह अंकित है। इसलिये विक्रय पत्र अनुसार वादीया के पति का नाम शुद्व किया जाना न्यायोचित नही है। इसिलये वादीया का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम भूडा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख0न0 197/0.33, 198/3.05 है0 मे वादीया का नाम ललिता पत्नि रूपसिह मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार टोडाभीम की जबाब रिपोर्ट के साथ ग्राम भूडा के नामांतकरण न0 144 दिनांक 10.11.2006 तथा नामांतकरण न0 150 दिनांक 28.02.2007 मे कॉलम कमांक 16 मे मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार वादीया के हक मे नामांतकरण स्वीकार हुआ है। और इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी जबाब व रिपोर्ट तथा बहस मे कथन किया है।

उक्त विवेचन अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:07 IST
Reason: SelfAttested